# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1491/2020**

रामनारायण सैनी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटकासिम, अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 18.11.2020
**आदेश की दिनांक** : 18.07.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : डॉ. सौगत रॉय, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एलडीसी के पद की काल्पनिक वरिष्ठता उसके पदस्थापन दिनांक से दिनांक 29.06.2013 (अनुलग्नक–6) के अनुसार प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.02.2017 के द्वारा एक्स सर्विस मैन कोटा के तहत एलडीसी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और अपीलार्थी ने पंचायत समिति, कोटकासिम अलवर में आदेश दिनांक 22.02.2017 की पालना में कार्यग्रहण किया तथा 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 09.07.2019 के द्वारा स्थायी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक है और उक्त कोटे के तहत उसने एलडीसी के पद के लिये आवेदन किया, जिसमें अपीलार्थी समस्त वांछित योग्यताएं पूर्ण करता है। एलडीसी के पद के लिये वर्ष 2013 में भर्ती निकाली गई, जिसमें वर्ष 2013 में समस्त भूतपूर्व सैनिकों जैसे श्री चतर सिंह, श्री बालकर सिंह जिनको दिनांक

29.06.2013 को नियुक्ति प्रदान की गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की ओर से बिना कोई गलती के उसे दिनांक 06.02.2017 से उसकी वरिष्ठता की गणना की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग से कई बार निवेदन किया एवं अभ्यावेदन भी दिया। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सूरजा राम बनाम जिला परिषद में पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 के द्वारा इस प्रकार के मामले को विचार करने हेतु कहा गया, परंतु अपीलार्थी के मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एलडीसी के पद की काल्पनिक वरिष्ठता उसके पदस्थापन दिनांक से दिनांक 29.06.2013 (अनुलग्नक–6) के अनुसार प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिव्यू याचिका संख्या 265/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2017 के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18.02.2017 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा रिव्यू याचिका प्रस्तुत की गई, उसमें वेतन एवं वरिष्ठता से संबंधित मांगो का उल्लेख नहीं किया गया और अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, जो नियमानुसार एवं सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.02.2017 के द्वारा एक्स सर्विस मैन कोटा के तहत एलडीसी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और अपीलार्थी ने पंचायत समिति, कोटकासिम अलवर में आदेश दिनांक 22.02.2017 की पालना में कार्यग्रहण किया तथा 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 09.07.2019 के द्वारा स्थायी किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2013 से काल्पनिक वरिष्ठता का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिव्यू

याचिका संख्या 265/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2017 के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18.02.2017 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती वर्ष 2013 के अंतर्गत प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी के समान कार्मिक श्री चतर सिंह एवं श्री बालकर सिंह की नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2013 एवं 20.06.2013 के क्रम में दिनांक 29.06.2013 के द्वारा प्रदान की गई है और अपीलार्थी को भी उसी भर्ती वर्ष के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियुक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार एक ही भर्ती वर्ष के विरूद्ध की गई भर्ती अनुसार कार्मिकों की अलग–अलग भर्ती वर्ष एवं अलग–अलग वरिष्ठता नहीं हो सकती। चूंकि अपीलार्थी को भी उसी भर्ती वर्ष के अंतर्गत भर्ती माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को भी भर्ती वर्ष 2013 की रिक्तियों के तहत एलडीसी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी भी भर्ती वर्ष 2013 के तहत नियुक्त हुये कार्मिकों की भांति एलडीसी के पद की काल्पनिक वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सूरजा राम बनाम जिला परिषद में पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 में जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को काल्पनिक वरिष्ठता, वेतन निर्धारण प्रदान किया गया है, उसी तिथी से प्रार्थी को भी प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी वर्तमान मामले में उक्त प्रकरण की भांति काल्पनिक वरिष्ठता लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को समस्त काल्पनिक वरिष्ठता, वेतन निर्धारण आदि का लाभ जिस तिथी से उससे कनिष्ठ अथवा उसके समान कार्मिकों को लाभ प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी समस्त काल्पनिक लाभ प्रदान किये जावें।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**